



Neutral Citation No. - 2026:AHC:2519

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 44635 वर्ष 2025

दीपक कुमार

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता	: आशीष पाण्डेय, निकिल पाठक, प्रज्ञा पाण्डेय
विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता	: जी.ए., सत्येन्द्र प्रताप सिंह, शिवम सिंह

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. श्री निखिल पाठक, विद्वान अधिवक्ता आवेदक की ओर से, श्री शिवम सिंह, विद्वान अधिवक्ता सूचनाकर्ता की ओर से तथा श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, विद्वान राज्य विधि अधिकारी राज्य की ओर से सुना गया एवं अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक, मुकदमा अपराध संख्या 224 वर्ष 2025, धाराओं 103(1), 238, 3(5) भारतीय न्याय संहिता, थाना कासना, जिला गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत, विचारण के लंबित रहने की अवधि में जमानत चाहता है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है तथा वर्तमान मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। उक्त अपराध से उसका कोई संबंध नहीं है। प्राथमिकी लगभग सात माह विलंब से दर्ज हुई है और उक्त विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि घटना के लगभग दो माह पश्चात मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दिया गया और घटना के बारह दिन पश्चात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(3) के अनुपालन में आवेदन दिया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि मृत्यु का कारण अभिनिश्चित नहीं हो सका और विसेरा रिपोर्ट में भी किसी विष की उपस्थिति नहीं पाई गई, अतः आवेदक जमानत पाने का अधिकारी है।
6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी तर्क दिया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 9.11.2025 से जेल में बंद है और विचारण में सहयोग करने को तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
7. विद्वान अधिवक्ता सूचनाकर्ता की ओर से एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस आधार पर जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया है कि मृतक का शव परीक्षण करने वाले चिकित्सक के कथन के अनुसार मृत्यु का कारण गला घोटना था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(4) के अंतर्गत संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दिए जाने से प्राथमिकी दर्ज कराने में विलंब स्पष्ट होता है। अतः आवेदक जमानत पाने का अधिकारी नहीं है।
8. "दोषसिद्ध होने तक निर्दोषिता की उपधारणा" का सुप्रसिद्ध सिद्धांत जमानत को नियम तथा कारावास को अपवाद की संकल्पना को जन्म देता है।
9. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रत्याभूत व्यक्ति का जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार केवल इस कारण छीना नहीं जा सकता कि उस पर अपराध करने का अभियोग है, जब तक कि उसका अपराध उचित संदेह से परे सिद्ध न हो जाए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 यह उद्घोषित करता है कि किसी के भी जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को तब तक नहीं छीना जा सकता जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन न किया जाए, और वह प्रक्रिया न्यायोचित एवं उचित होनी चाहिए। उक्त सिद्धांत को माननीय उच्चतम न्यायालय ने **सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य, (2022) 10 एससीसी 51** में पुनः प्रतिपादित किया है।
10. उपर्युक्त मत को दोहराते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 आईएनएससी 595** के वाद में पुनः इस बात पर बल दिया है कि इस सुस्थापित विधिक सिद्धांत को नहीं भूला जाना चाहिए कि जमानत को दंड के रूप में नहीं रोका जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि न्यायालय इस सिद्धांत को मान्यता दें कि "जमानत नियम है और जेल अपवाद है"।



11. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता/राज्य विधि अधिकारी ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति नहीं बता सके जो आवेदक को जमानत देने से इनकार को उचित ठहराए।
12. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करते हुए, प्राथमिकी दर्ज कराने में विलंब तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में संबंधित चिकित्सक के कथन से उक्त विसंगति को दृष्टिगत रखते हुए, तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया न्यायालय का मत है कि आवेदक ने जमानत का मामला बनाया है। जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।
13. उक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक **दीपक कुमार** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका एवं दो जमानतदारों द्वारा समान राशि में जमानत प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।
- (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव/भयादोहन नहीं करेगा।
 - (iii) आवेदक निर्धारित तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
14. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।
15. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की साक्ष्य के आधार पर अपना स्वतंत्र मत बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

7 जनवरी, 2026

विकास वर्मा